

बैंक ऑफ इंडिया  
Bank of India

BOI



प्रधान कार्यालय- स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051.

HEAD OFFICE- STAR HOUSE, BANDRA KURLA COMPLEX, MUMBAI-400 051

## सूचना

इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की उन्नीसवीं वार्षिक आम बैठक **सोमवार, 20 जुलाई 2015 को अपराह्न 11.00 बजे** बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित कारोबार करने के लिए की जाएगी:

## मद संख्या 1

“यथा 31 मार्च 2015 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता, लेखा में कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन तथा अंगीकार करना।”

## मद संख्या 2

“31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इकिटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना।”

## मद संख्या 3

एक विशेष संकल्प के रूप में, विचार करने और यदि उपयुक्त माना गया तो निम्नलिखित संकल्प को आशोधनों के साथ अथवा उसके बिना पारित करने हेतु:

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और बैंक ऑफ इंडिया (शेयर्स एंड मिटिंग्स) विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और/अथवा इस बारे में यथा अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदनों, सम्मतियों, स्वीकृतियों, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन एवं ऐसी शर्तों, निबंधनों और आशोधनों के अध्यक्षीन जो ऐसे अनुमोदन की स्वीकृति में उनके द्वारा यथा विहित किए जाएं और जिसके लिए बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की जाए और सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिसक्लोजर रिकायरमेंट्स) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन)/ दिशानिर्देश एवं समय-समय पर आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित अधिसूचना/परिपत्रों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत स्पष्टीकरणों एवं अन्य संबन्धित प्राधिकरणों द्वारा विहित विनियमों और ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करारों के अधीन जहां बैंक के इकिटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति है एवं इसके द्वारा बैंक के निदेशक बोर्ड को दी जाती है (इसके पश्चात इसे ‘बोर्ड’ कहा जाएगा जिसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल समझी जाएगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित इसके अधिकारों का प्रयोग करने के लिए गठित हो अथवा इसके पश्चात गठित की गयी हो) भारत अथवा विदेश में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज के द्वारा ऑफर, इश्यू और आर्बंटि (संस्था के आर्बंटन पर आरक्षण के लिए प्रावधान और/अथवा निर्गम के ऐसे भाग के प्रतिस्पर्धात्मक आधार और उस समय लागू कानून द्वारा अनुमत ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी भी शामिल)

- क) लागू प्रीमियम पर ₹ 10 प्रत्येक के अंकित मूल्य के 26 करोड़ तक के इकिटी शेयर के साथ मौजूदा पैड-अप इकिटी शेयर पूंजी जो बैंक के ₹ 3000 करोड़ के कुल प्राधिकृत पूंजी के अंदर होगा, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ए) के

## NOTICE

NOTICE is hereby given that the Nineteenth Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on **Monday, July 20, 2015 at 11.00 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 to transact the following business:

## Item No. 1

“To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31<sup>st</sup> March 2015, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31<sup>st</sup> March 2015, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts”

## Item No. 2

“To declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March 2015.”

## Item No. 3

**To consider and if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:**

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad

- a) Upto 26 Crore equity shares of the face value of ₹ 10 each for cash at such premium which together with the existing Paid-up Equity share capital shall be within the total authorized capital of ₹ 3000 crore of the bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced

अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की सीमा है अथवा भविष्य में अधिनियम बनने वाले किसी संशोधन (यदि हो) के अनुसार वर्धित प्राधिकृत पूंजी, इस प्रकार से कि केन्द्रीय सरकार की हर समय पैड-अप इक्विटी पूंजी की कम से कम 51% धारिता रहेगी चाहे वह बाज़ार मूल्य में छूट अथवा प्रीमियम पर हो।

ख) आरबीआई द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप स्थायी ऋण लिखतों को सब्सक्राइब करने के लिए ऑफर अथवा आमंत्रण देना, इसमें अपरिवर्तनीय डिबेंचर शामिल लेकिन गौण डिबेंचर, बांड, स्थायी संचयी अधिमानी शेयरों तक सीमित नहीं और/अथवा अन्य ऋण प्रतिभूतियों /अधिमानी शेयरों आदि, निजी प्लेसमेंट या पब्लिक इश्यू के आधार पर, आरबीआई अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा चिन्हित और वर्गीकृत टियर। अथवा टियर II पूंजी के लिए वर्गीकृत की जा सकने वाली एक अथवा अधिक शेयर का हिस्सा जो ₹ 6000 करोड़ रकम के अधिक न हो, इस विशेष संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान हो।

एक अथवा अधिक शेयर के हिस्सों में, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई), निजी अथवा पब्लिक कंपनियां, निवेश संस्थाएं, सोसाइटी, न्यास, अनुसंधान संस्थाएं, कालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बॉयर (क्यूआईबी) जैसे विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूचुअल निधि, वेन्चर पूंजी निधि, विदेशी वेन्चर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन निधि, विकास वित्तीय संस्थाएं अथवा अन्य इकाई, प्राधिकारी अथवा कोई अन्य वर्ग के निवेशक जो बैंक के इक्विटी/अधिमानी शेयर /प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत है, यह मौजूदा विनियम /दिशानिर्देशों अथवा उपर्युक्त में से कोई संयोजन जो बैंक के द्वारा उचित समझी जाए शामिल है।

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन कालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी), सार्वजनिक निर्गम, राइट्स इश्यू, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से होगा या ऐसे अन्य निर्गम जिनका प्रावधान लागू नियमों द्वारा किया गया हो, ओवर-अलॉटमेंट विकल्प के साथ या उसके बिना और यह कि ऐसा प्रस्ताव निर्गम, प्लेसमेंट और आबंटन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी तथा प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2009 (आईसीडीआर विनियमन) और आरबीआई, सेबी एवं यथा लागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी दिशानिर्देश और ऐसे समय अथवा समयों पर ऐसे तरीके से और ऐसे निबंधन और शर्तों जैसा बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर उचित माने जाएं।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपरोक्त निर्गम के संबंध में बोर्ड को ऐसे मूल्य अथवा आईसीडीआर विनियमनों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसका निर्धारण इस प्रकार और जहां आवश्यक होगा अग्रणी प्रबंधकों और/या हामीदारों और/या अन्य सलाहकारों की सलाह से किया जाएगा और/या ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जैसा बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आईसीडीआर विनियमनों की शर्तों, अन्य विनियमन और किसी या सभी लागू कानून, नियमों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों और/अथवा यह निर्णय लेने का अधिकारी होगा कि प्रस्तावित निवेशक बैंक के वर्तमान शेयरधारक है या नहीं।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार और शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी आशोधन को स्वीकार करें जैसा अपेक्षित हो या जीओआई/आरबीआई/सेबी /स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या जहां निर्गमित होने वाली ऋण प्रतिभूतियां सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं अथवा ऐसे प्राधिकारियों द्वारा बोर्ड द्वारा सहमतनुसार उनके निर्गम, आबंटन और सूचीकरण को उनके अनुमोदन, सहमति और मंजूरी प्रदान करते वक्त अधिरोपित किया गया हो।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशकों को उपर्युक्त प्रतिभूतियों के निर्गम एवं आबंटन आरबीआई के अनुमोदन के अधीन यथा लागू विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत

Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price,

b) for making offer(s) or invitation(s) to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by RBI, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, bonds, Perpetual Non Cumulative Preference Shares and /or other debt securities/ Preference Shares, etc., on a private placement or public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II Capital as identified and classified by RBI or such other authority for an amount not exceeding ₹ 6000 Crore, during the period of one year from the date of passing of this Special Resolution.

in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT, such issue, offer or allotment shall be by way of qualified institutional placement (QIP), public issue, rights issue, private placement or such other issue which may be provided by applicable laws, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“ICDR Regulations”) and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations, determined in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or where the Debt Securities to be issued are proposed to be listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the issue and allotment of aforesaid Securities, if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and other regulators as applicable.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the said new equity shares to be

परंतु अधिनियम और यथा लागू अन्य विनियमकों द्वारा निर्धारित समग्र सीमाओं के अंदर होगा।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि निर्गमित किए जाने वाले कथित नए शेयर, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 यथा संशोधित के अध्यक्षीन होंगे और लाभांश यदि कोई हो, सहित बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के साथ समरूपी श्रेणी में होंगे जो इस घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि बोर्ड के अधिकार हैं और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह किसी अग्रणी प्रबंधक, बैंकर, हामीदार, डिपॉजिटरी, और उपर्युक्त प्रतिभूतियां ऑफर करने से संबंधित सभी एजेन्सियों के साथ अभी ऐसी व्यवस्थाओं का निष्पादन करें और सभी ऐसी संस्थाओं एवं एजेन्सियों को कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि की प्रतिपूर्ति करें और ऐसी एजेन्सियों के साथ सभी ऐसी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्प्रेषित करें।”


“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अग्रणी प्रबंधक, अंडर राइटर, सलाहकार और अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सलाह से अब और एतद्वारा इश्यू (ओं) के प्रकार और शर्त निर्धारण के लिए प्राधिकृत है जिसमें शेयर आबंटित करने के लिए निवेशकों के वर्ग, प्रत्येक भाग में आबंटित होने वाले शेयरों/अधिमानी शेयरों/डेट प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम, अगर कोई सहित) अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/परिवर्तन/वारंटों के निष्पादन/प्रतिभूतियों के मोचन, ब्याज दर, मोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमानी शेयरों की संख्या या प्रतिभूतियों के परिवर्तन या मोचन या रद्दीकरण पर अन्य प्रतिभूतियों, मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/परिवर्तन पर प्रीमियम या बड़ा ब्याज दर, परिवर्तन अवधि रिकॉर्ड तारीख या बही बंदी के निर्धारण और संबंधित या प्रासंगिक मामले, भारत और / अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाना शामिल है, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक में उचित समझे।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि ऐसे उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से यदि कोई अभिमत नहीं है तो बोर्ड द्वारा जैसा उचित समझा जाए और विधि द्वारा अनुमतानुसार बोर्ड के पूर्ण विवेक पर उसे निपटाया जा सकता है।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड, अब और इसके द्वारा ऐसे सभी व्यावहारों, कार्यों, मामलों और बातों के लिए प्राधिकृत है जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में उचित, सही और वांछनीय समझे जाए और शेयर/प्रतिभूति के निर्गम से संबंधित उठे किसी प्रश्न, असुविधा अथवा संदेह को निपटाने और आगे भी ऐसे सभी व्यवहारों, कार्यों, मामलों और बातों को करने, जैसा भी आवश्यक, वांछनीय अथवा उचित हो, सभी दस्तावेज और लेखन को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने, जैसा कि सम्पूर्ण विवेकाधिकारी में उचित, सही अथवा वांछनीय हो जिसमें शेयरधारकों से आगे अनुमोदन अथवा सहमति लेने की आवश्यकता न हो अथवा इसके लिए अधिकृत हो और इस प्रयोजन हेतु शेयरधारकों ने संकल्प के प्राधिकार से स्पष्ट रूप से इसके लिए अपना अनुमोदन दिया हो।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी अधिकारी को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा कार्यपालक निदेशक/(कों) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

बोर्ड के आदेशानुसार



(बि. पी. शर्मा)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18/06/2015

issued shall be subject to the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 as amended and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank including dividend, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of aforesaid Securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and / or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the aforesaid Securities are to be allotted, their number to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/ conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares / preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT, such of the aforesaid Securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO or to the Executive Director(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

By order of the Board



(B.P.Sharma)

Managing Director & CEO



## टिप्पणियां :

## 1. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा मतदान के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा मतदान हेतु एक परोक्षी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित फार्म उसमें निर्धारित स्थान पर वार्षिक आम बैठक के कम से कम 4 (चार) दिन पूर्व अर्थात् सोमवार दिनांक 13 जुलाई, 2015 को या उससे पहले बैंक के कारोबार की समय समाप्त होने से पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

## 2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसी कंपनी या अन्य किसी निकाय-कंपनी जो बैंक की शेयरधारक है, का विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि है, द्वारा आम बैठक के तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात् सोमवार दिनांक 13 जुलाई, 2015 को या उससे पहले बैंक के कारोबार के समय के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में, जिस बैठक में उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा उक्त संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि यदि प्रस्तुत नहीं की जाती है तो उसे बैठक में उपस्थित रहने का, मत देने का अधिकार नहीं होगा।

## 3. लेखाबंदी

शेयरधारकों का रजिस्टर, एवं बैंक का शेयर अंतरण रजिस्टर वार्षिक आम बैठक और लाभांश का आकलन करने के उद्देश्य से मंगलवार 14 जुलाई, 2015 से सोमवार 20 जुलाई, 2015 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

## 4. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के पास शेयर डिमेट स्वरूप में हैं उन्हें अपने पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना उनसे संबंधित सहभागी निक्षेपागार को देनी चाहिए। जिनके पास शेयर प्रत्यक्ष रूप में हैं, उन्हें अपने पते में परिवर्तन की सूचना बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर देनी चाहिए:

**मेसर्स शेयरप्रो सर्विसेस (इंडिया) प्रा.लि.**

यूनिट: बैंक ऑफ़ इंडिया,  
13, ए बी, संहिता वेयरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स,  
साकीनाका टेलीफोन एक्सचेंज लेन,  
अंधेरी कुर्ला रोड, साकीनाका, अंधेरी पूर्व,  
मुंबई - 400 072.

फोन- 022-67720300/67720400

फैक्स- 022-28591568

ई मेल : boi@shareproservices.com

## 5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र सुपुर्द कर दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र में 'परोक्षी' अथवा 'प्रतिनिधि' में से वह जिस रूप में उपस्थित हो रहे हों उसका उल्लेख कर देना चाहिए।

## 6. अदावाकृत लाभांश यदि कोई हो

वे शेयरधारक जिन्होंने अपने लाभांश वारंट अभी तक नहीं भुनाए हैं / उन्हें पहले की अवधि के कोई वारंट अभी तक नहीं मिले हैं तो उनसे अनुरोध है कि वे वारंट की अनुलिपि जारी करने के लिए अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंककारी कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 बी के अनुसार लाभांश की सात वर्ष तक अदत्त राशि या अदावाकृत राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ़) में अंतरित करनी होती है।

## Notes.

## 1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours on Monday, the 13<sup>th</sup> July 2015.

## 2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours on Monday, the 13<sup>th</sup> July 2015.

## 3. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Tuesday, July 14<sup>th</sup>, 2015 to Monday, July 20<sup>th</sup>, 2015 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

## 4. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in dematerialized form should communicate the change of address, if any, to their Depository Participant. Shareholders who hold shares in physical form should communicate the change of address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address

**M/s. Sharepro Services (India) Pvt. Ltd.,**

Unit: Bank of India

13 AB Samhita Warehousing Complex

Off. Andheri Kurla Road

Sakinaka Telephone Exchange Lane

Sakinaka, Andheri East

Mumbai 400 072

Tel : 22- 67720300 / 67720400

Fax : 22 - 28591568

E mail: boi@shareproservices.com

## 5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip- cum-Entry pass at the venue. Proxy/Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

## 6. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received for previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013.

**7. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट**

जो शेयरधारक संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा [boi@shareproservice.com](mailto:boi@shareproservice.com) पर ई-मेल कर सकते हैं अथवा कंपनी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कामप्लेक्स, मुंबई-400 051 को पत्र लिख सकते हैं।

**8. ई-वोटिंग**

सूचना में उल्लिखित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु बैंक के शेयरधारकों के लिए बैंक ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से ई-वोटिंग प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए बैंक ने मै. इजी लॉज़, मुंबई के अंकुर कुमार, अधिवक्ता (बार काउन्सिल पंजीकरण सं. एमएच/5718/2011) को परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कट ऑफ डेट में बैंक के शेयर प्रत्यक्ष अथवा डीमैट रूप में धारण करने वाले शेयर धारक अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से डाल सकते हैं।

**9. ई-वोटिंग अनुदेश**

- i) शेयरधारक / लाभार्थी मालिक (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) इस प्रयोजन हेतु नियत तारीख यथा 13 जुलाई 2015 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक की प्रदत्त इकिटी शेयर पुंजी में उनके शेयरों के आनुपातिक आधार पर होगा बशर्ते कि बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार को छोड़कर, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा धारित किसी शेयरों के संबंध में वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए पात्र है।
- ii) यथा कट-ऑफ तारीख अर्थात् 13 जुलाई, 2015 को एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में रिकार्ड किया गया है अथवा निक्षेपागार द्वारा रखे गए लाभार्थी मालिक के रजिस्टर में है, वही केवल ई-वोटिंग/मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकता है।  
कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना प्रेषित होने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और यथा कट ऑफ तारीख अर्थात् 13 जुलाई 2015 को शेयर धारित करता है, निम्नानुसार तरीके से यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है:  
रिमोट वोटिंग बंद होने से पर्याप्त समय पहले शेयरधारिता के प्रमाणीकृत प्रमाणसहित को [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in) या डाक द्वारा या [boi@shareproservices.com](mailto:boi@shareproservices.com) को लिखना।
- iii) ई वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक ने नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं प्राप्त की है।
- iv) संयुक्त धारकों के मामले में, लॉग-इन आईडी/यूज़र आई डी तथा पासवर्ड शेयरों के प्रथम धारक को प्रेषित की जाए तदनुसार एनएसडीएल की ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा वोट डालनेवाले शेयरधारकों के रूप में सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रथम धारक को वोट यूज़र आई डी तथा पासवर्ड भेजा जाए। प्रथम धारक अर्थात् शेयरों का धारक, जिसका नाम शेयरों के प्रथम नाम के रूप में पंजीकृत है।
- v) वोटिंग अवधि **शुक्रवार, 17 जुलाई, 2015 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और रविवार, 19 जुलाई, 2015 को समाप्त होगी।** एनएसडीएल द्वारा उसी दिन शाम 05.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को डिसेबल भी कर दिया जाएगा।
- vi) यदि आप ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो आप वोट डालने के लिए मौजूदा यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।
- vii) आरंभिक पासवर्ड इस संसूचना के अंत में प्रदान किया गया है।
- viii) निम्नलिखित URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करके इंटरनेट ब्राउसर शुरू करें।
- ix) शेयरहोल्डर-लॉगइन पर क्लिक करें।
- x) यूज़र आईडी और उपरोक्त स्टेप (i) में नोट किए गए आरंभिक पासवर्ड को पासवर्ड में डालें। लॉगइन पर क्लिक करें।
- xi) पासवर्ड चेंज मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद के पासवर्ड से पासवर्ड को बदल दें जो न्यूनतम 8 डिजिट /कैरेक्टर अथवा उनका मिश्रण होगा। नए पासवर्ड को नोट

**7. Full Annual Report**

Shareholders desirous to have a full Annual Report can download it from our website [www.bankofindia.co.in](http://www.bankofindia.co.in) or send email to [boi@shareproservices.com](mailto:boi@shareproservices.com) or letter to the Company Secretary, Bank of India, C-5, 'G' Block, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

**8. E-Voting**

The Bank is pleased to provide e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. **The Bank has appointed Ankur Kumar, Advocate (Bar Council Registration No. MAH/5718/2011) of M/s. Ezy Laws, Mumbai as the Scrutinizer for conducting the e-voting process** in a fair and transparent manner. E-voting is optional. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

**9. E-voting Instructions**

- i) The voting rights of Shareholders/ beneficial owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on 13th July 2015 (Cut-off Date) fixed for the purpose. subject to the condition that no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- ii) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. July 13, 2015 only shall be entitled to avail the facility of e-voting /poll.  
Any person who becomes a member of the Bank after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as on the cut-off date i.e. July 13, 2015, may obtain the User ID and password in the manner as mentioned below:  
By writing a mail to the [headoffice.share@bankofindia.co.in](mailto:headoffice.share@bankofindia.co.in) or by post with authenticated proof of shareholding or write to [boi@shareproservices.com](mailto:boi@shareproservices.com) sufficiently before the closing of the remote voting.
- iii) The Bank has engaged the services of National Securities Depositories Limited ("NSDL") as the Agency to provide e-voting facility.
- iv) In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the e-voting services of NSDL, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- v) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Friday 17<sup>th</sup> July, 2015 and will end at 5.00 p.m. on Sunday, 19<sup>th</sup> July, 2015. The e-voting module shall also be disabled by NSDL at 5.00 p.m. on the same day.
- vi) If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing user ID and password for casting your vote.
- vii) Initial password is provided as below at the bottom of this communication.
- viii) Launch internet browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/>
- ix) Click on Shareholder - Login.
- x) Insert user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.
- xi) Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/

- करें। यह सिफारिश की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पासवर्ड न बताएं और पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए पूरी सावधानी बरतें।
- xii) ई-वोटिंग का होम पेज खुलेगा। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। वोटिंग साइकल को सक्रिय करें।
- xiii) 101942 के EVEN का चयन करें।
- xiv) अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि कास्ट वोट पेज खुलेगा।
- xv) उचित विकल्प का चयन करते हुए अपना वोट डालें और सबमिट पर क्लिक करें तथा प्राम्प्ट किए जाने पर “कन्फर्म” करें।
- xvi) पुष्टिकरण होने पर ‘vote cast successfully’ का संदेश दिखेगा।
- xvii) एक बार संकल्प पर वोट डालने के बाद आपको वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी।
- xviii) कॉर्पोरेट निकाय सहित संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) के विधिवत प्रधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति का संकल्प, जिस बैठक में पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित सही प्रतिलिपि के साथ जो वोट देने के लिए प्रधिकृत हैं, ऐसे विधिवत प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर सहित स्कैन प्रति (यह फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में संलग्न हो सकती है), स्कूटिनाइज़र को ई-मेल के जरिए [evotingezylaws.com](mailto:evotingezylaws.com) / [ankur.srivastava@ezylaws.com](mailto:ankur.srivastava@ezylaws.com) भेजी जाए, जिसकी प्रति [nsdl.com](mailto:nsdl.com) को भेजी जाए। फाइल का नाम इस फॉर्मेट में दिया जाए कॉर्पोरेट निकाय का नाम\_ **EVEN** 101942, ऊपर उल्लेखित स्कैन प्रतियां ई-वोटिंग करने से पहले अथवा करने के तत्काल बाद ई-मेल के जरिए भेजी जानी चाहिए। तथापि यदि ये स्कूटिनाइज़र /एनएसडीएल के पास ई-वोटिंग बंद होने से पहले नहीं पहुँचता है तो किया गया ई-वोटिंग कम्प्यूटर द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- xix) एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/खाते के लिए अलग से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार, भारत सरकार के अतिरिक्त किसी भी अन्य शेयरधारक को बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक वोटिंग अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।
- xx) यह सलाह दी जाती है कि आप अपने पासवर्ड की जानकारी किसी को न दें और उसे बिल्कुल गोपनीय रखें।
- xxi) ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और उसकी सूचना स्टॉक –एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।
- xxii) ई वोटिंग करने वाले सदस्य बैठक में भाग ले सकते हैं तथा पुनः वोट डालने के पात्र नहीं होंगे एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि शेयरधारकों को ई-वोटिंग करना अनिवार्य नहीं है तथा एक शेयरधारक अपने विवेकानुसार यह सुविधा प्राप्त कर सकता है जो उक्त वर्णित अनुदेशों के अनुपालन के अधीन है।
- xxiii) अगर कोई सवाल हों, तो आप शेयरधारकों के लिए ‘अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न’ (एफएक्यू) और [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) से 'Downloads' भाग में शेयरधारकों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूज़र मैनुअल देख सकते हैं।
- xxiv) आप फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं जिसका प्रयोग भविष्य में संसूचना भेजने के लिए किया जा सकता है।
- characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- xii) Home page of e-Voting opens. Click on e-Voting: Active Voting Cycles.
- xiii) Select “EVEN” of 101942.
- xiv) Now you are ready for e-Voting as Cast Vote page opens.
- xv) Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
- xvi) Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
- xvii) Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- xviii) Institutional shareholders including body corporates (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (this file be as an attachment in PDF Format) of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail to [evoting@ezylaws.com](mailto:evoting@ezylaws.com) / [ankur.srivastava@ezylaws.com](mailto:ankur.srivastava@ezylaws.com) with a copy marked to [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in). The file should be named in the format of “the body corporate Name-----EVEN 101942”. The scanned copies are to be sent as mentioned above by e-mail, before or immediately after casting the e-voting. However, in case the same do not reach scrutinizer/ NSDL before closure of e-voting, the e-voting so exercised will be rejected in computer system.
- xix) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.
- xx) It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- xxi) The results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.
- xxii) The members who have cast their vote by e-voting may also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again. It is hereby clarified that it is not mandatory for a shareholder to vote using the e-voting facility, and a shareholder may avail of the facility at his/her/it discretion, subject to compliance with the instructions prescribed above.
- xxiii) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).
- xxiv) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

## 10. सभा में मतदान

कार्यसूची मद पर चर्चा के पश्चात, बैठक के अध्यक्ष, सभी मदों के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त किए जाने वाले जांचकर्ताओं के पर्यवेक्षण में मतदान होगा। मतदान के पश्चात अध्यक्ष बैठक की समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। मतदान के परिणाम के साथ संकलित ई-वोटिंग के परिणामों की घोषणा बैंक अपने वेबसाइट पर करेगा और उसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देगा।

## 10. Poll at the Meeting

After the agenda item has been discussed, the Chairman of the Meeting will order Poll in respect of all the items. Poll will be conducted and supervised under Scrutinizers to be appointed for the purpose. After conclusion of the Poll, the Chairperson may declare the meeting as closed. The Results of the Poll aggregated with the results of e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.



वोट के आवश्यक संख्या की पुष्टि के अध्यक्षीन, यह संकल्प जुलाई 20, 2015 की बैठक में पारित माना जाएगा।

**मद संख्या 3 के लिए व्याख्यात्मक विवरणपत्र**

- ए) बैंक, बैंकिंग व्यवसाय एवं इससे संबंधित गतिविधियों का कारोबार करता है। वर्तमान में, बैंक की अधिकृत पूंजी, ₹ 3000 करोड़ है। यथा दिनांक 31 मार्च, 2015 को बैंक की पैड अप इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 664.91 करोड़ है।
- बी) वर्तमान में हमारे बैंक में भारत सरकार की शेयर धारिता ₹ 428.36 करोड़ है, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 64.43 % है। 31 मार्च, 2015 को पूंजीगत निधि से जोखिम भारत आस्तियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	राशि (₹ करोड़ों में)	बेसल-III के तहत पूंजीगत निधि से जोखिम भारत आस्तियों का %
जोखिम भारत आस्तियां	3,63,523	
साधारण इक्विटी पूंजी	26,091	7.17
अतिरिक्त टियर- I	3,618	1.00
टियर-I पूंजी	29,709	8.17
टियर -II पूंजी	9,289	2.56
कुल पूंजी	38,998	10.73

- सी) मार्च 2015 के दौरान प्रति शेयर ₹ 273.50 के प्रीमियम पर ₹ 10/- प्रत्येक के 2,26,45,502 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए गए (इनमें से एलआईसी को 2,00,00,000 इक्विटी शेयर और द न्यू इंडिया एश्युरेंस कं. लि को 26,45,502 इक्विटी शेयर।)
- डी) बैंक विगत कई वर्षों से औसत वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ रहा है। लम्बी अवधि के संसाधनों एवं बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित सामान्य उधार के प्रयोजनों के लिए करोबार बढ़ाने हेतु निधियों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंक क्वॉलिफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट / फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर / इक्विटी शेयरों की निजी प्लेसमेंट, टियर-1 बॉन्ड्स, टियर-2 बॉन्ड्स, सेबी (पूँजी एवं प्रकटन आवश्यकताओं का निर्गम) विनियमन, 2009 एवं अब तक यथा संशोधित तथा इस संबंध में सेबी / आरबीआई के विनियमनों/दिशानिर्देशों के अनुरूप अधिमानी शेयरों द्वारा निधियां जुटाने का प्रस्ताव रखता है।

**ई) प्रस्तावित अधिमानी इश्यू के उद्देश्य :**

पूँजी पर्याप्तता से संबंधित बासेल (II एवं III) अपेक्षाओं के अनुपालन के उद्देश्य से, पूँजी जुटाने की सतत आवश्यकता रहती है। इस प्रकार अर्जित पूँजी का प्रयोग, बैंकों की पूँजी पर्याप्तता बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।


इस पूँजी पर्याप्तता को आंतरिक जनरेशन एवं इस विषय पर आरबीआई और सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन अंतर्गत इक्विटी एवं बासेल III समर्थित ऋण लिखतों/अधिमानी शेयरों को जारी कर के पूरा किया जा सकता है।

- एफ) उपरोक्त कारणों से, संलग्न नोटिस की मद संख्या-3 में उक्त संकल्प को प्रवृत्त बनाने के लिए अनुमोदन किया जाता है कि इश्यू के शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु बोर्ड को पर्याप्त अनुकूलता एवं अधिकार प्रदान करें।

निदेशक मंडल शेयर धारकों के अनुमोदन हेतु संलग्न नोटिस की मद सं. 3 में उल्लिखित विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

कोई भी निदेशक / बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार, (बैंक में उनकी शेयर धारिता के अलावा) किसी भी प्रकार से वित्तीय रूप से या अन्यथा, कथित संकल्प से सम्बद्ध या हितबद्ध नहीं हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार



(बि. पी. शर्मा)

स्थान: मुंबई

दिनांक: 18/06/2015

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Subject to receipt of requisite number of votes, the Resolutions shall be deemed to be passed on the date of the Meeting, i.e. July 20, 2015.

**Explanatory Statement for item No. 3**

- a) The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is ₹ 3000 Crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31<sup>st</sup> March 2015 was ₹ 664.91 Crore.
- b) Presently, the shareholding of Government of India in our Bank is ₹ 428.36 Crore which constitute 64.43% of total paid up capital of the Bank. The capital funds to Risk Weighted Assets as on 31<sup>st</sup> March 2015 is as under:

Particulars	Amount ₹ In Crores	% of capital funds to risk weighted assests under Basel-III
Risk Weighted Assets	3,63,523	
Common Equity Capital	26,091	7.17
Additional Tier-I	3,618	1.00
Tier-I Capital	29,709	8.17
Tier-II Capital	9,289	2.56
Total Capital	38,998	10.73

- c) Preferential Allotment of equity by issue of 2,26,45,502 Crore Equity Shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 273.50 per share was made during March 2015 (of which 2,00,00,000 Equity Shares to LIC and 26,45,502 Equity Shares to The New India Assurance Co.Ltd).
- d) The Bank is growing at steady pace for last many years. In order to meet the growing requirement of funds for expanding the business by way of long term resources and for general lending purpose as may be decided by the Board, the Bank proposes to raise funds by way of Qualified Institutions placement/ Follow on public officer / Private placement of Equity Shares, Tier-I Bonds, Tier-II Bonds, Preference Shares in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 and as amended upto date and other applicable Regulations / Guidelines of SEBI/RBI in this regard.

**e) Object of the Proposed Issue:**

With a view to comply with Basel (II & III) requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. The capital raised would utilize to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

This capital requirement can be met by a combination of internal generation, issuance of equity and BASEL III compliant debt instruments/ preference shares subject to RBI and SEBI guidelines on the subject.

- f) For reasons aforesaid, the enabling resolution as set out in item No. 3 of the accompanying notice is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue(s).

The Board of Directors recommends the Special Resolution set out at Item No.3 of the accompanying Notice for approval of the shareholders.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank / their relatives are, in any way concerned or interested, financially or otherwise, (except their shareholding in the bank) in the said resolution.

By order of the Board



(B.P.Sharma)

Managing Director & CEO

Place: Mumbai

Date: 18.06.2015